



संक्षिप्त

विवरणमस्जिद्-ए-नब

वी की ज़ियारत (यात्रा)

के शिष्टाचार और

नियमों के विषय में



Partners in Implementation



Content
Association



Rowad
Translation



Byenah



IslamHouse

This publication may be printed and disseminated by any means provided that the source is mentioned and no change is made to the text.

- Tel : +966 50 244 7000
- info@islamiccontent.org
- Riyadh 13245-2836
- www.islamiccontent.org

सारी प्रशंसा अल्लाह की है जो सारे संसार का रब है,
तथा दया और शांति (दरूद व सलाम) अवतरित हो
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर
तथा आपके तमाम परिजनों एवं साथियों पर।


अब मूल विषय पर आते हैं।

मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत से संबंधित यह एक संक्षिप्त पुस्तिका है, जिसमें हमारी कोशिश रही है कि मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत करने वाले को आवश्यकता पड़ने वाली अधिकतर ज़रूरी बातें बयान कर दी जाएँ।

दुआ है कि अल्लाह इसे विशुद्ध रूप से अपनी प्रसन्नता की प्राप्ति का साधन एवं तमाम मुसलमानों के लिए लाभकारी बनाए।

विभिन्न भाषाओं में
इस्लामी सामग्री सेवा
संगठन की शोध
समिति





संक्षिप्त विवरण

मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत (यात्रा) के शिष्टाचार और नियमों के विषय में





1

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद की ज़ियारत मुस्तहब है। लेकिन इसका कोई समय निर्धारित नहीं है और यह हज के कार्यों में भी शामिल नहीं है। हाजियों पर -पुरुष हों अथवा महिला-अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र तथा बक़ी क़ब्रिस्तान की ज़ियारत अनिवार्य नहीं है।

2

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए यात्रा करके जाना जायज़ नहीं है। क्योंकि इबादत की नीयत से क़ब्रों की यात्रा नहीं की जा सकती। यात्रा केवल तीन मस्जिदों की ही की जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

(لَا تَشْدُوا الرِّحَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)

"केवल तीन मस्जिदों के लिए ही यात्रा करो : मस्जिद-ए-हराम, मेरी यह मस्जिद तथा मस्जिद-ए-अक्सा।" (सहीह बुखारी : 1189, सहीह मुस्लिम : 827, यहाँ लिए गए शब्द सहीह मुस्लिम के हैं।) अतः जो लोग मदीना से दूर रहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से आपकी क़ब्र की ज़ियारत के लिए यात्रा करना उचित नहीं है। हाँ, मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत के लिए यात्रा करना शरीयत सम्मत है। फिर, जब मस्जिद-ए-नबवी पहुँच जाएँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं आपके दोनों साथियों की कब्रों की ज़ियारत कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं आपके दोनों साथियों की कब्रों की यह ज़ियारत मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत के अंतर्गत आ जाएगी।

3

ज़ियारत करने वाला जब मस्जिद-ए-नबवी पहुँचे, तो उसके लिए मुस्तहब यह है कि मस्जिद में प्रवेश करते समय पहले दाहिना पाँव अंदर रखे तथा अन्य मस्जिदों में प्रवेश करने ही की भाँति यह दुआ पढ़े : "ऐ अल्लाह! मेरे लिए अपनी रहमत के द्वार खोल दे ।"

4

मस्जिद-ए-नबवी में दाखिल होने के लिए अलग से कोई विशेष दुआ नहीं है ।

5

फिर तभी यतुल मस्जिद (मस्जिद में प्रवेश) की दो रकातें पढ़े ।


6

अगर समय ऐसा न हो कि उसमें नमाज़ पढ़ना मना हो, तो दो-दो रकात करके जितनी चाहे नफ़ल पढ़ सकता है । अल्लाह के रसूल سललल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :

(صلوة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)

"मेरी इस मस्जिद में पढ़ी गई एक नमाज़ मस्जिद-ए-हराम को छोड़ अन्य मस्जिदों में पढ़ी गई एक हज़ार नमाज़ों से बेहतर है ।" (सहीह बुखारी : 1190 एवं सहीह मुस्लिम : 1394)





7 प्रयास यह रहे कि हो सके तो रौज़ा - अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मिंबर तथा घर के बीच का भाग- के अंदर नमाज़ पढ़ ले। अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :

(ما يَنْبَغِي وَمِنْ بَرِي رُوضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)
 "मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच का भाग जन्नत के बागों में से एक बाग है।" (सहीह बुखारी : १११० एवं सहीह मुस्लिम : १३१०) अगर वहाँ नमाज़ आसानी से पढ़ी न जा सके, तो मस्जिद में कहीं भी पढ़ ले। लेकिन यहाँ बात जमात वाली नमाज़ को छोड़ अन्य नमाज़ों की हो रही है। जमात वाली नमाज़ों में इमाम के ठीक पीछे स्थित पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करे। इस संबंध में आने वाले सामान्य प्रमाणों से यही सिद्ध होता है।

- 8** और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके दोनों साथियों की क़ब्रों की ज़ियारत का इरादा करे,



A. और इन शब्दों में आपको सलाम करे : (ऐ अल्लाह के रसूल! आपपर अल्लाह की ओर से शांति, दया एवं बरकतें अवतरित हों।) अगर यह शब्द कहे, तब भी कोई हर्ज नहीं है : "मैं गवाही देता हूँ कि आप वास्तव में अल्लाह के रसूल हैं, और आपने संदेश पहुँचा दिया, और अमानत अदा कर दी, और अल्लाह के रास्ते में पूरी कोशिश की, और उम्मत को नसीहत की, तो अल्लाह आपको आपकी उम्मत की ओर से सबसे अच्छा बदला दे जो उसने किसी नबी को उसकी उम्मत की ओर से दिया ।"

B.फिर थोड़ा दाएँ हटकर खड़ा हो और अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अनहु को सलाम करे।

C.फिर थोड़ा और दाएँ हटकर खड़ा हो और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अनहु को सलाम करे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अनहुमा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके दोनों साथियों को सलाम करते, तो आम तौर पर इससे अधिक कुछ न कहते : "हे अल्लाह के रसूल, आप पर शांति हो। हे अबू बक्र, आप पर शांति हो। हे मेरे पिता, आप पर शांति हो।" इतना कहने के बाद वापस चले जाते।

D.अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके दोनों साथियों की क़ब्रों के पास देर तक खड़े रहना और वहाँ दुआ करना उचित नहीं है। इमाम मालिक ने इसे नापसंद करते हुए कहा है कि यह एक बिदअत है, जिसे सलफ़ यानी सहाबा ने नहीं किया है, और इस उम्मत के बाद के दौर के लोगों का सुधार केवल उन्हीं चीज़ों द्वारा हो सकता है, जिनसे इसके पहले दौर के लोगों का सुधार हुआ था।

E.यहाँ यह याद रहे कि कुछ ज़ियारत करने वालों का आपकी क़ब्र के पास आवाज़ ऊँची करना, और देर तक खड़ा रहना शरीयत के विरुद्ध है। उच्च एवं महान अल्लाह ने कहा है :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ترْفَعُوا أَصواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهِرُوا لَهُ بالقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تُحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ، إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتُتَقَوَّى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتُتَقَوَّى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अपनी आवाज़, नबी की आवाज़ से ऊँची न करो और न आपसे ऊँची आवाज़ में बात करो, जैसे एक-दूसरे से ऊँची आवाज़ में बात करते हो। ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जाएँ और तुम्हें पता (भी) न हो। निस्संदेह, जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं, वही लोग हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए जाँच लिया है। उन्हीं के लिए क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है।"

[सूरा अल-हुजुरात : 3-2]

F. दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास लंबे समय तक खड़ा रहना और बार-बार सलाम करना, भीड़-भाड़ तथा शोर-शराबे का कारण बनता है, जो इन आयतों में मुसलमानों को दिए गए निर्देशों के विरुद्ध है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सम्मान जीवन काल में भी ज़रूरी था और मृत्यु के बाद भी ज़रूरी है। अतः एक मोमिन को आपकी क़ब्र के पास ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो शरई शिष्टाचार के विरुद्ध हो।

G. इसी तरह कुछ ज़ियारत करने वालों का आपकी क़ब्र के पास क़ब्र की ओर मुँह करके हाथ उठाकर दुआ करना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा सलफ़ यानी सहाबा और उनका सही अनुसरण करने वालों के तरीके के विपरीत एवं दीन के नाम पर किया जाने वाला एक नया काम है।

H. इसी तरह कुछ ज़ियारत करने वालों के द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजते समय दाहिने हाथ को बाँहें हाथ पर रखकर सीने पर या उसके नीचे नमाज़ पढ़ने वाले की तरह रखने का जो तरीक़ा अपनाया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजते समय उसे अपनाना जायज़ नहीं है। क्योंकि यह तरीक़ा एक प्रकार से आत्मसमर्पण, विनम्रता एवं उपासना का प्रतीक है, जो केवल अल्लाह के लिए अपनाना ही उचित है, जैसा कि हाफ़िज़ इब्र-ए-हजर ने "फ़ल्ह अल-बारी" में उलेमा के हवाले से लिखा है।

I. आपके कमरे को नेकी का काम समझकर स्पष्ट करना या उसका तवाफ़ जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़रूरत पूरी करने या रोगी को शिफा देने की दुआ करना आदि भी जायज़ नहीं है। क्योंकि यह चीज़ें केवल अल्लाह से माँगी जाएँगी।

J. किसी अन्य व्यक्ति की क़ब्र की ज़ियारत जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्र की बहुत ज़्यादा ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत की है। इस मनाही का कारण यह है कि औरतों से क़ब्रों के पास रोने-धोने एवं बेपर्दगी का इज़हार करने जैसे शरीयत विरोधी कार्य होने की प्रबल संभावना है। उनके लिए मुस्तहब यह है कि आपकी मस्जिद के अंदर तथा अन्य स्थानों में आप पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजते रहें। वो जहाँ भी रहें, उनका दरूद व सलाम आप तक पहुँच जाएगा। अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है :

(لَا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبرى عيداً، وصلوا على إِنْ صَلَاتُكُمْ تَبَلَّغُنِي حِيثُ كُنْتُمْ)،

"अपने घरों को क्रिस्तान न बनाओ और न मेरी क़ब्र को मेला स्थल बनाओ। हाँ, मुझपर दरूद भेजते रहो, क्योंकि तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुँच जाएगा।" आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक और अवसर पर फ़रमाया है :

(إِنَّ اللَّهَ مِلَائِكَةُ سِيَاحِينَ فِي الْأَرْضِ يَبْلُغُونِي مِنْ أَمْتِي السَّلَامِ).

"अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते हैं, जो धरती में घूमते फिरते हैं, वे मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं।"




9

मदीने की ज़ियारत करने वाले के लिए वहाँ रुकने के दौरान कुबा मस्जिद की ज़ियारत करना और वहाँ नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। क्योंकि अल्लाह के नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वहाँ सवार होकर और पैदल जाया करते और दो रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। सहूल बिन हुनैफ़ रज़ियल्लाहु अनहु का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :

(من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةً^١
كان له كأجر عمرة).

"जो अपने घर में वज़ू करे, फिर मस्जिद-ए-कुबा जाए और वहाँ नमाज़ पढ़े, तो उसे उमरा के बराबर सवाब मिलेगा।"



10 पुरुषों के लिए मदीने के क़ब्रिस्तान बक्की की क़ब्रों, शहीदों की क़ब्रों और हमज़ा रज़ियल्लाहु अनहु की क़ब्र की ज़ियारत करना सुन्नत है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी ज़ियारत करते और उनके लिए दुआ किया करते थे। साथ ही आपका फ़रमान है :

(كُنْتَ نَهِيَّتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ كَمَ الْآخِرَةِ)


“मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था। लेकिन अब तुम उनकी ज़ियारत करो, क्योंकि क़ब्रों की ज़ियार आखिरत की याद दिलाती है।” अन्य क़ब्रों की ज़ियारत की तरह उनकी ज़ियारत करते समय भी यह दुआ पढ़ी जाए : ”ऐ इस स्थान के रहने वाले मोमिनो और मुसलमानो! अल्लाह तुमपर शांति की जलधारा बरसाए और हम भी इन शा अल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। अल्लाह हममें से आगे जाने वालों और पीछे आने वालों पर दया करे। मैं अल्लाह से हमारे तथा तुम्हारे लिए कल्याण की प्रार्थना करता हूँ।”

11 इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि क़ब्रों की ज़ियारत का उद्देश्य आखिरत को याद करना और क़ब्रों में दफ़न लोगों के लिए दुआ करना है। यही शरीयत सम्मत ज़ियारत है।



12

रही बात क़ब्रों के पास दुआ करने या क़ब्रों में दफ़न लोगों अथवा उनकी प्रतिष्ठा का वास्ता देकर अल्लाह से कुछ माँगने के उद्देश्य से क़ब्रों की ज़ियारत करने की, तो यह गैर-शरई ज़ियारत है, जिसकी शिक्षा न अल्लाह और उसके رसूل سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी है और जिसे سलफ़ ने किया है। फिर, इससे दो क़दम आगे बढ़कर अगर क़ब्रों में दफ़न लोगों से ज़रूरतें माँगी गईं और रोगियों को शिफा देने का आग्रह किया गया, तो यह सबसे बड़े शिर्क में दाखिल है।



अब मैं अपने पाठकों के समक्ष ज़ियारत से संबंधित कुछ मनगढ़त हदीसें रख देना चाहता हूँ, ताकि उनसे अवगत हो जाएं और किसी धोखे में न पड़ें :

पहली : "जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की, उसने मेरी उपेक्षा की ।"

दूसरी : "जो मेरी मृत्यु के बाद मेरी (क़ब्र) की ज़ियारत करता है, मानो उसने मेरे जीवन में मेरी ज़ियारत की हो ।"

तीसरी : "जो एक ही साल में मेरी (क़ब्र) और मेरे पिता इब्राहीम की (क़ब्र) की ज़ियारत करता है, उसके लिए मैंने अल्लाह से जन्मत की गारंटी ली है ।"

चौथी : "जो मेरी (क़ब्र) की ज़ियारत करता है, उसके लिए मेरी सिफारिश अनिवार्य हो जाती है ।"

यह हदीसें तथा इन जैसी अन्य हदीसें अल्लाह के नबी سल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम से बिलकुल साबित नहीं हैं। हाफ़िज़ अल-उक्केली कहते हैं : इस विषय की कोई भी हदीस सहीह नहीं है। जबकि हाफ़िज़ इब्र-ए-हजर (अल-तलखीस) में - इस तरह की अधिकांश रिवायतों का ज़िक्र करने के बाद- कहते हैं : इस हदीस की सारी वर्णन शूखलाएँ दुर्बल हैं। हज या उमरा की सुन्नतों में मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत दाखिल नहीं है। न हज तथा उमरा से पहले और न हज तथा उमरा के बाद। क्योंकि मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत एक अलग मुस्तहब काम है। अतः अगर जह या उमरा करने वाले ने इसकी ज़ियारत नहीं की, तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा। हज या उमरा तथा मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत के बीच कोई संबंध नहीं है। ये सब अलग-अलग इबादतें हैं। हज या उमरा करते समय मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत ज़रूरी नहीं है। मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत करने वाले पर भी हज व उमरा लाज़िम नहीं है। किसी ने एक ही सफ़र में तीनों काम कर लिए, तब भी कोई हर्ज नहीं है।

مسجد-ए-نबवी की ज़ियारत के समय किए जाने वाले कुछ शरीयत विरोधी कार्य

1 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत करते समय दीवारों और लोहे की सलाखों को छूना और बरकत प्राप्त करने के लिए खिड़कियों में धागा आदि बाँधना ।

दरअसल बरकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बताई हुई चीज़ों में होती है । दीन के नाम से सामने आने वाली नई चीज़ों में नहीं ।

2 उहुद पहाड़ के ग़ारों और इसी तरह मक्का में ग़ार-ए-हिरा एवं ग़ार-ए-सौर में जाना, वहाँ कपड़े बाँधना, ऐसी दुआएँ करना जिनकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है और इसके लिए कष्ट उठाना ।

ये सारे कार्य बिद्अत एवं निराधार हैं ।



3 कुछ ऐसे स्थानों की ज़ियारत करना जिनके बारे में लोग समझते हैं कि रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनका कोई संबंध है। जैसे ऊँटनी के बैठने का स्थान, अल-खातम कुआँ अथवा उसमान कुआँ। फिर बरकत के लिए वहाँ की मिट्टी ले लेना।

4 बक्की क्रिस्तान की कब्रों और उहुद युद्ध के शहीदों की कब्रों की ज़ियारत के समय उनके अंदर दफ़न लोगों को पुकारना और उनकी निकटता प्राप्त करने या उनसे बरकत लेने के लिए नोट फेंकना।

ये कुछ बड़ी-बड़ी ग़लतियाँ हैं। बल्कि इस्लामी विद्वानों की नज़र में ये महा शिर्क में दाखिल हैं और कुरआन एवं हदीस से भी यही प्रमाणित होता है। क्योंकि इबादत बस एकमात्र अल्लाह की होनी चाहिए। कण भर भी इबादत किसी और के लिए जायज़ नहीं है। उच्च एवं महान अल्लाह का फ़रमान है :

(وَمَا أُمِرْوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ)

"हालाँकि उन्हें केवल यही आदेश दिया गया था कि वे अल्लाह के लिए धर्म को विशुद्ध करते हुए, एकाग्र होकर, उसकी इबादत करें।"
[सूरा अल-बैयिनह : 5]

दरूद व सलाम हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, तथा आपके परिवार और तमाम साथियों पर।



تعرف على الإسلام

بأكثر من 100 لغة



موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com



ترجمات متقدمة للأحاديث
النبوية وشرحها بأكثر من
لغة (60)



بيان الإسلام
byenah.com



مواد متنقة للتعرف
بإسلام وتعليمه بأكثر
من (120) لغة



موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com



ترجمات متقدمة لمعاني
القرآن الكريم بأكثر من
لغة (75)



موسوعات وخدمات إسلامية باللغات
s.islamenc.com



للمزيد
من المواقع
الإسلامية
بلغات العالم



جامع الحقيقة الإسلامية باللغات
islamcontent.com



مواد إسلامية متنوعة
وشاملة بأكثر من (125)
لغة



ضيوف الرحمن
hajjumrh.com



مواد متنقة للحجاج
والمعتمرين والزوار
بلغات العالم

